

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 1981/वैशाख 4, 1903

No. 173] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 1981/VASAKHA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(सारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1981

क्र० भा० 317 (अ).—भारति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम,
1980 (1980 का 64) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निवेश देती है कि भारति लिमिटेड के उपक्रम जिनका पंजीकृत
कार्यालय पालम, गुड़गांव रोड, गुड़गांव (हरियाणा) में है, और इसके उपक्रमों के संबंध में उक्त

(537)

कम्पनी के अधिकार, उपाधि और हित जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय 23 अप्रैल, 1981 की और से मैसेर्स भारती उद्योग लिमिटेड नामक सरकारी कम्पनी में निहित होंगे जिसका पंजीकृत कार्यालय कमरा नं० 174, उद्योग भवन, नई दिल्ली में है।

[फा०सं० 13(53)/80-ए०ई०आई०(I)]

नरेण चन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 1981

S.O. 317 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Maruti Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (64 of 1980), the Central Government hereby directs that the undertakings of Maruti Limited, having their registered office at Palam, Gurgaon Road, Gurgaon (Haryana), and the right, title and interest of the said company in relation to its undertakings which have vested in the Central Government under section 3 of the said Act, shall, instead of continuing to vest in the Central Government, vest in the Government company known as Messrs. Maruti Udyog Limited, having its registered office in Room No. 174, Udyog Bhavan, New Delhi, on and from the 23rd April, 1981.

[F. No. 13(53)/80-AEI(I)]

NARESH CHANDRA, Jt. Secy.